

244

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013

Order

Dated Shimla-171002, the

Sub:- Diversion of 0.1118 hectare of forest land in favour of M/s Chamunda HEP, VPO Gohar, Mandi for the construction of 0.20MW Chamunda micro Hydro Electric Project and laying of transmission line at gohar, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB323/2012 - CHA दिनांक 14-05-2013 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 0.1118 hectare of forest land in favour of M/s Chamunda HEP, VPO Gohar, Mandi for the construction of 0.20MW Chamunda micro Hydro Electric Project and laying of transmission line at gohar, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh को उपयोग के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- 2 प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष बाधक नहीं है अतः कोई वृक्ष काटा नहीं जायेगा।
- 3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF-Mahithana में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 36,321/- (छत्तीस हजार तीन सौ इक्कीस मात्र) की राशि से कुल 0.2236 हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- 4 The user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.
- 5 साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय / पूर्व ऊपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगे।
- 6 सीमेंट कंकरीट के खम्भों जिन पर आगे तथा पीछे कम सख्या तथा एक खम्बे से दूसरे खम्बे की दूरी अंकित हों, प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा परियोजना खर्च पर पट्टे क्षेत्र का सीमांकन किया जाये।
- 7 प्रयोक्ता एजेंसी तथा वन विभाग द्वारा भूमि सुधार योजना कार्यान्वित की जायेगी। वन मण्डल अधिकारी निजी तौर पर इस शर्त के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि मलबा स्थल का उचित रूप से सुधार कर दिया गया है।
- 8 मलबे का प्रयोग स्थानीय रूप से पुश्ता-दिवार (Retaining Wall) के पीछे गड़दों को भरने / ढलानों के सुधार के लिए किया जायेगा। इसे पहाड़ी ढलान के नीचे बिल्कुल नहीं गिराया जायेगा तथा न ही नालों आदि में गिराया जाएगा।
वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

5/PCA

CEP(PCA)

18/05/13
5/6

प्र.नु.प्र.पा. हि.प्र.
1158
दिनांक 21/6/13

- 10 यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 11 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अन्तर्गत पूर्व में जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB323/2012 - CHA दिनांक 14-05-2013 में जारी रागी शर्तों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 12 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, District Mandi.
उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the... 5-6-13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 -A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Mandi, Distt, Mandi, Himachal Pradesh .
6. Sh. Murari Lal gupta, VPO Gohar, Tehsil Chachiot, Distt, Mandi, H.P.
7. CCF, Mandi /DFO, Naehan Forest Division, Distt. Mandi, H.P.
8. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.